न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईलास राजेश डागा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 02/2018 अपील

निर्णय दिनांक 05.08.2020

बउनवान

1. संतोषबाई पत्नी स्व0 भीमराज जाति माली निवासी ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास।
2. भानूप्रिया उम्र 10 वर्ष नाबालिग पुत्र स्व0 भीमराज जाति माली जर्ये संरक्षक माता श्रीमती संतोषबाई पत्नी स्व0 श्री भीमराज जाति माली निवासी सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा।

—अपीलान्ट्स—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

—रेस्पोडेंट—

उपस्थित :—
अपीलान्ट्स ओर से एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन।
रेस्पोडेंट राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

अपील बनाराजगी आदेश ग्राम पंचायत सावनभादौ दिनांक 05.07.2018 इन्तकाल नबंर 1093

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट्स द्वारा जर्ये एडवोकेट अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सावनभादौ जिला कोटा के खसरा नबंर 448, 817, 823, 824, 900, 1849, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2063, 2064, 2065, 2072, 2073 इस प्रकार कुल किता 18 की कुल रकबा 5.53 है0, कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड में अपीलान्टस क्रम 01 के पति व क्रम 02 के पिता स्व0 श्री भीमराज व अन्य सहखातेदारन के नाम से राजस्व खाते में दर्ज रही है, उक्त कृषि भूमि में स्व0 श्री भीमराज का हिस्सा 9/28 है, श्री भीमराज का स्वर्गवास दिनांक 11.12.2012 को हो चुका है, जिनके स्थान पर अपीलान्ट्स का नाम दर्ज करवाने के लिये अपीलान्ट ने दिनांक 20.02.2013 को ग्राम पंचायत सावनभादौ से वारिस प्रमाण—पत्र प्राप्त किया था, जिसको हल्का पटवारी महोदय को देते हुये अपीलान्ट ने उनके नाम को भीमराज के स्थान पर नामान्तरण दर्ज किये जाने की प्रार्थना की थी। जिस पर हल्का पटवारी जी ने स्व0 श्री भीमराज के स्थान पर श्री भीमराज के मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण—पत्र के आधार पर रेस्पोडेंट के कार्यालय से आदेश प्राप्त कर फौती इन्तकाल नबंर 1093 खोलकर ग्राम पंचायत सावनभादौ के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे ग्राम पंचायत सावनभादौ द्वारा दिनांक 05.07.2018 को अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया है, अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सावनभादौ के निर्णय से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट्स निम्न कारणों से अपील प्रस्तुत करती है:—

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निण्रय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण सर्वथा निरस्तनीय है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था, कि नामान्तरण रेस्पोडेंट तहसीलदार महोदय कनवास के आदेश की पालना में खोला जाकर हल्का पटवारी महोदय द्वारा तस्दीक किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरण को अस्वीकार करने में घोर त्रृटि की है।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner

यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर जो भी साक्ष्य उपलब्ध थे, उनसे यह भली प्रमाणित था, कि भीमराज पुत्र चेतराम का स्वर्गवास हो चूका है, जिनके वारिसान अपीलान्ट्स है। तथा ग्राम पंचायत सावनभादौ द्वारा भी अपीलान्ट्स के पक्ष में दिनांक 20.02.2013 को वारिस प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पक्ष में खोले गये इन्तकाल को निरस्त करने में घोर त्रृटि की है, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय किसी भी प्रकार से स्थित रहने योग्य नहीं है।

4. यह कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का ज्ञान दिनांक 25.08.2018 को हल्का पटवारी जी से जानकारी लेने पर हुआ, हल्का पटवारी जी ने जानकारी मिलते ही अपीलान्ट्स ने नामान्तरण संख्या 1093 की नकल लेने के लिये तहसीलदार महोदय कनवास के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया, जंहा से अपीलान्ट्स को नामान्तरण की नकल दिनांक 05.09.2018 को प्राप्त हुई। दिनांक 05.09.2018 को नकल प्राप्त होने से अपीलान्ट्स अविलम्ब उक्त अपील अवधि मध्य प्रस्तुत कर रहे हैं।

अपीलान्ट्स द्वारा पुनः अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2018 को निरस्त करते हुये मृतक भीमराज पुत्र चेतराम के स्थान पर ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित खसरा नबंर 448, 817, 823, 824, 900, 1849, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2063, 2064, 2065, 2072, 2073 इस प्रकार कुल किता 18 की रकबा 5.53 है0, कृषि भूमि में 9/28 हिस्से पर अपीलान्ट्स का नाम दर्ज करने का आदेश फरमावें।

अपील अपीलान्ट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट की तलवी जारी किया गया, राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने में कोई राजहित प्रभावित नंही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया इन्तकाल संख्या 1093 दिनांक 05.07.2018 का अस्वीकार करने का कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूप्रयोग करते हुये अपीलान्ट को वगैर सुनवाई का अवसर दिया जाकर इन्तकाल अपास्त किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात हम अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2018 को निरस्त करते हुये मृतक भीमराज पुत्र चेतराम के स्थान पर ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित खसरा नबंर 448, 817, 823, 824, 900, 1849, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2063, 2064, 2065, 2072, 2073 इस प्रकार कुल किता 18 की रकबा 5.53 है0, कृषि भूमि में 9/28 हिस्से पर अपीलान्ट्स का नाम दर्ज किया जाना न्योयोचित समझते हैं।

आदेश

अतः अपीलान्ट अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सावनभादौ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2018 इन्तकाल नबंर 1093 को निरस्त किया जाता है, तहसीलदार कनवास को निर्णय की प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते हैं, कि मृतक भीमराज पुत्र चेतराम के स्थान पर ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास के खसरा नबंर 448, 817, 823, 824, 900, 1849, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2063, 2064, 2065, 2072, 2073 कुल किता 18 की रकबा 5.53 है0, कृषि भूमि में 9/28 हिस्से पर मृतक के विधिक वारिसान की जांच करते हुये विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 05.08..2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (कनवास)

Scanned by CamScanner